बिहार सरकार

परिवहन विभाग

हर सफर का हमसफर

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

11वां चरण

दूरस्थ आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की योजना

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं रोजगार का सृजन करना है।

अनुदान की राशि

अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1.00 (एक) लाख रूपये होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है– वाहन का एक्स– शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ कर कुल राशि। ई–रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 (सत्तर हजार) रू0 अनुदान दिया जाएगा। एम्बुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रूपये अनुदान दिया जाएगा।

वाहन का प्रकार

इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को एवं एम्बुलेंस को योग्य माना जायेगा।

लाभुक की अर्हताएं

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों की अर्हताएँ निम्नवत् होंगीः–

- प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों का उपलब्ध रिक्ति के अनुसार चयन किया जाएगा।
- जिनमें 4 लाभुक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 3 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे।
- प्रति पंचायत अधिकतम 7 लाभुक की अनुमान्य सीमा के अंतर्गत प्रति प्रखंड अधिकतम 2 (1 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग) लाभुकों को उपलब्ध रिक्ति के अनुसार एम्बुलेंस के क्रय पर अनुदान दिया जाएगा।
- लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होगी।
- लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।
- लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।

लाभुक को आवेदन के साथ निम्न कागजात उपलब्ध कराने होंगे :–

1. जाति प्रमाण–पत्र
2. आवासीय प्रमाण–पत्र
3. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र,
4. उम्र संबंधित प्रमाण–पत्र
5. चालन अनुज्ञप्ति

योजना की समय–सारणी

क्र0सं0	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	योजना का प्रशिक्षण एवं जागरूकता।	16.08.2024 से 27.08.2024 तक
2.	आवेदन करने की तिथि	28.08.2024 से 27.09.2024 तक
3.	प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर पंचायतवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण	28.09.2024 से 30.09.2024 तक
4.	प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण	03.10.2024
5.	अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक	04.10.2024
6.	चयन सूची का प्रकाशन	05.10.2024
7.	आपत्ति आमंत्रण	07.10.2024 से 16.10.2024 तक
8.	आपत्ति निराकरण	17.10.2024
9.	अंतिम चयन सूची का प्रकाशन	18.10.2024
10.	प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला	19.10.2024 से 26.10.2024 तक
11.	वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करना	21.10.2024 से लगातार
12.	अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान करना	आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर

नोट :- आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदक को या स्पष्ट विकल्प देना होगा कि वे एंबुलेंस का क्रय करना चाहते हैं या यात्री वाहन।

सचिव
परिवहन विभाग, बिहार

PR No.- 006557 (Transport)D. 2024-25